



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला देवरिया
तहसील देवरिया
आवेदन क्र. 211900030275292
प्रमाण पत्र क्र. 601213075243

जारी दिनांक: 11/11/2021

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

पंचदेव मद्धेशिया
प्रदीप मद्धेशिया
रितु देवी
- ग्राम पोस्ट नौतन
हथियागढ़
-
देवरिया
देवरिया



उत्तर प्रदेश राज्य की कांदू जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है की पंचदेव मद्धेशिया पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहिप छुट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



डिजिटल लॉकर सेवा
द्वारा
डाउनलोडेड

ANAND
KUMAR
NAYAK

Digitally Signed
by
ANAND KUMAR
NAYAK
O=PERSONAL,
C=IN,CN=ANAND
KUMAR NAYAK,
S=Uttar Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित
देवरिया देवरिया
दिनांक: 11/11/2021

स्वहस्ताक्षर

यह प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित मूल प्रमाण पत्र के आधार पर डिजिटल लॉकर सेवा के माध्यम से आवेदक द्वारा डाउनलोड किया गया है, वेबसाइट <https://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र. फिर प्रमाण पत्र क्र. अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।